जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
खनिज भवन, उद्योग भवन परिसर तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाष0141–5192134

प्रेस नोट– 22अगस्त, 2014

जयपुर 22 अगस्त। जयपुर शहर की चारदिवारी में चाँदपोल से बडी चौपड बन रही मेट्रो लाइन के विरूद्ध एक जनहित याचिका आज दिनांक 22.08.2014 को माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में सुनवाई हेतु नियत थी। इस याचिका में भूमिगत मेट्रो की खुदाई से ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान होने की आशंका व्यक्त करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा तुरन्त प्रभाव से मेट्रो के काम को स्टे की प्रार्थना की गई थी।

इस प्रकरण में जयपुर मेट्रो रेल का आधार एवं पक्ष रखने हेतु प्रबंध निदेशक श्री निहाल चंद गोयल के साथ जयपुर मेट्रो के निदेशक परियोजना श्री अश्विनी सक्सैना व कार्यकारी निदेशक श्री रमेश चंद शर्मा तथा दिल्ली मेट्रो के मुख्य परियोजना प्रबंधक श्री अतुल गाडगिल भी मौजूद थे। प्रकरण मे श्री सीएमडी द्वारा न्यायालय के समक्ष जयपुर मेट्रो का पक्ष रखते हुए कहा कि परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारीयों से सभी वांछित अनापत्ति/अनुमति आदि प्राप्त करने के पश्चात तथा विशेषज्ञों की पूरी टीम की सलाह के आधार पर ही कार्य किया जा रहा है। श्री गोयल द्वारा न्यायालय को यह भी अवगत कराया गया कि मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा इसी विषय पर पूर्व में ह्यूमन सैटलमेंट टैक्नोलोजी द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका को खारिज करते हुए संन्धारित किया गया था कि यह परियोजना तकनीकी विशेषज्ञों की राय के आधार पर पूरे सोच विचार के बाद बनाई गई है और इसमें विरासत की सुरक्षा व संरक्षा के हर संभव उपाय शामिल है।

सुनवाई के दौरान श्री गोयल ने उच्च न्यायाल के संमक्ष यह भी स्पष्ट किया कि छौटी चौपड़ पर भी भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निर्माण इस प्रकार किया जा रहा है कि ट्रेफिक डायवर्जन केवल छः माह तक ही करना पडेगा नाकि तीन वर्ष। हालाकि स्टेशन के निर्माण का काम साढे तीन वर्ष में पूरा होगा।

माननीय उच्च न्यायाल आज पूरी बहस सुनने के पश्चात चारदिवारी में जयपुर मेट्रो रेल के निर्माण को रोकने से इन्कार करते हुए स्टे प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।

——